प्र0सं0 :– 36/2011
व0उ0 :– सतबीर बनाम चन्द्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–संजीव कुमार वर्मा (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
36/2011	28/01/2011	25/11/2024

उनवान

सतबीर ———:: वादीगण

बनाम

चन्द्रावली ———:: प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गतआदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्तादीवानी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 रूल 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 (प्रार्थी) मिन जानिब प्रतिवादीगण संख्या 2 की ओर से निम्न प्रकार है कि प्रतिवादनी संख्या 1 वादी की माता है। वादनी द्वारा उक्त वाद अपने नाना की सम्पत्ति अपनी पैतृक आराजी बताते हुए अपने जन्म से ही अधिकार बताते हुए उक्त वादपेश किया गया है। वाद वर्णित आराजी वादी की पैतृक आराजी नही है। बल्कि प्रतिवादी संख्या 01 को अपने पिता से विरासत मे प्राप्त हुई है जिस आराजी मे उसका पूर्ण स्वामित्व निहित है। प्रतिवादनी द्वारा वाद वर्णित आराजी मे से कुछ आराजी मुकेश देवी पत्नि प्रकाश चन्द अहीर को जर्ये रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 14/06/2004 के जर्ये मुन्तकिल कर दी गई है। तथा एक रजिस्टर्ड विकय पत्र संतरा देवी पत्नि रामेश्वर दयाल अहीर को दिनांक 14/6/2004 को पंजीबद्व कर दिया गया है। इस प्रकार जिनके पक्ष मे आराजी दानपत्र व रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर आई है। वह व्यक्ति उक्त आराजी का स्वामित्वधारी हो गया है। जिस कारण उक्त वाद Barred by ANYLAW वाद की श्रेणी मे आता है। वाद वर्णित आराजी वादी द्वारा हिन्दु उत्तरअधिकार अधिनियम के तहत अपनी पैतृक आराजी बताई है। जबकि उक्त आराजी वादी की पैतृक आराजी नही है। जिस कारण भी उक्त वाद चलने योग्य नही है। वादी द्वारा वाद पत्र मे वाद हेतुक तिथी एंव विनाय मुखासमत तिथी दिनांक 17/7/2001 अंकित की गई है। जिस तिथी से वादी उद्घोषणा व तकासमा एंव हुकमइम्तनाई दवामी का वाद दायर करने मे सक्षम नही है। क्योकि वादी द्वारा उक्त तिथी असत्य, मिथ्या अंकित की है। तथा वाद वर्णित आराजी पर वादी का कभी भी कब्जा नही रहा। वादी स्वयं वाके ग्राम डूमेडा तहसील कोटकासिम का निवासी है तथा कभी भी अपने जीवनकाल मे वाके ग्राम ढाकी तहसील तिजारा जिला अलवर मे नही रहा। वादी द्वारा वादपत्र मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 तथा आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 दिनांक 18/6/2010 मे जो अनुतोष चाहा गया है वह अनुतोष राजस्व न्यायालय वादी को देने मे सक्षम नही है उक्त अनुतोष वादी दीवानी वाद के माध्यम से

Court/Rajesh yadav

उपखण्ड अधिकारी तिजारा
जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

नपत्र एंव विक्रय पत्र निरस्ती हेतु दायर कर उसमे अनुतोष मॉगने का अधिकारी है इस वाद मे माध्यम से दी ऐसा अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवदेन है कि प्रार्थना पत्र र्थी/प्रतिवादी स्वीकार फरमाई जाकर वाद वादी स्पेशल कॉस्ट सहित इसी स्टेज पर खारिज फरमाई वे।

(अपार्थी) वादीपक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्तादीवानी का ज्ञाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पैरा सं0 2 गलत है स्वीकार नही है। वाद मे वर्णित विवादित राजी मिन वादी की माता चन्द्रावली प्रतिवादीया को अपने पिता से विरासत से प्राप्त हुई हैं। मिन वादी नी माता चन्द्रवली प्रतिवादीया का जाईन्दा पुत्र है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत आराजी मे रिसान का हक व हकूक निहित माया गया है। इसलिए विवादित आराजी मिन वादी की पैतृक आराजी जिस पर मिन वादी जन्म से ही काबिल व दाखिल होकर काश्त कारोबार करता चला आ रहा है तथा के पर वास्तविक कब्जा है। जब प्रतिवादीया ने विवादित आराजी मे से कुछ आराजी का दान पत्र दिनांक 06.2004 को मिन वादी के भाई प्रकाशचन्द की पत्नी मुकेशदेवी के हक मे कराया है तो स्वतः ही मिन ी को हकूक हासिल हो जाते है। दौराने वाद प्रतिवादीया ने कुछ आराजी का बेचान जरिये रजि0 नामा दिनांक 14.06.2004 को किया है, जो बिना घोषणात्मक वाद मय तकासमा कराये बेचान किया है, मिन वादी के हकूको के विरूद्व प्रारम्भ से ही बातिल वो बेअसर है, प्रभाव शून्य है। इसलिए उक्त वाद ई बाई लॉ की श्रेणी मे नही आता है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 3 जिस कदर बयान किया गया है गलत स्वीकार नही है। वाद मे वर्णित विवादित आराजी मिन वादी की माता चन्द्रावली प्रतिवादिया को अपने ा से विरासत से प्राप्त हुई है। मिन वादी अपनी माता चन्द्रवली प्रतिवादीया का जाईन्दा पुत्र है तथा दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत आराजी मे वारिसान का हक व हकूक निहित माना गया है। वादी वाद सही तथ्यो पर आधारित है और मिन वादी इश्तकरारहक मय तकासमा मय हु0ई0 दवामी की डिक्री त करने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 4 गलत है स्वीकार नहीं है। वादी ने सही तथ्यो के ार पर दावा हाजा अदालत श्रीमान मे पेश किया है तथा मिन वादी को दिनांक 17.07.2001 को बिनाय ासमत उत्पन्न हुई थी। वादी, अपनी माता प्रतिवादीया का जाइन्दा पुत्र है तथा हिन्दु उत्तराधिकार धिनियम के तहत आराजी मे वारिसान का हक व हकूक निहित माया गया है। इसलिए मिन वादी ने ने हकूको की रक्षार्थ उक्त वाद पेश किया है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 5 गलत है स्वीकार नहीं है। मूदा वाद मे मिन वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 तथा आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 के त अनुतोष चाहा है क्योंकि दौराने वाद बेचान/दान पत्र हुआ है। इसलिए भी दानपत्र के जरिये व क्रय पत्र के जरिये आये नये पक्षकारो को उक्त वाद मे मिन वादी को अपने हकूको की रक्षार्थ प्रतिवादी जद मे पक्षकार मुकदमा बनाया जाना नितान्त आवश्यक है और इसी कदर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया ा है, जो स्वीकार किये जाने योग्य है तथा मुकेश देवी व सन्तरा देवी को उक्त वाद मे प्रतिवादी की जद पक्षकार मुकदमा बनाया जाना कानूनन उचित एंव न्यायसंगत है। प्रतिवादी प्रकाशचन्द ने अदालत श्रीमान

urt/Rajesh yadav

को गुमराह करते हुये मिथ्या तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना प्रतिवादी गलत है स्वीकार नही है। प्रतिवादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र वादी की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 02) पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज किये जाने की कृपा करे।

अप्रार्थी (वादीगण) पक्ष की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी के तथ्यों को दोहराते हुये प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी को खारिज किया जाकर किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी पर बहस वकुलात सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र मे वर्णित विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 चन्द्रावली को अपने पिता/वादी के नाना से विरासत मे प्राप्त हुई है, जबकि वादी के द्वारा वादपत्र मे कहा गया है कि विवादित आराजी पैतृक सम्पति/दादालाई है। जिसमे वादी का हक एंव हिस्सा है। जैसा कि " Hindu Succession Act,1956-Sec. की धारा 14 मे कहा गया है कि property of a Hindu Female- Absolute property and has full ownership-property acquired on her own or as stridhan is her absolute property and she may dispose of the same as per her wish and cannot be treated as a part of joint Hindu family property.

अतः स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण मे सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के उपबंध "क" के अनुसार वादपत्र में वादहेतुक प्रकट नही होता है। उक्त वादपत्र में वाद हेतुक प्रकट नही होने के आधार परा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 स्वीकार योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 रूल 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 25/11/2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एंव मोहर युक्त जारी किया गया।

25/11/2024
(संजीव कुमार शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल-तिजारा)
उपखण्ड अधिकारी तिजारा
जिला खैरथल तिजारा (राज०)

Court/Rajesh yadav